प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 17.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 17.01.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के दो नफर शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 तमंचा अवैध व 04 जिन्दा कारतूस किये गये बरामद, अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में गैगेस्टर एक्ट, अवैध गांजा, अवैध तमंचा, चोरी, जानलेवा हमला सहित विभिन्न जघन्य अपराध हैं पंजीकृत-

महाकुम्भः 2025 को सकुशल एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित अभियानों के तहत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह के द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के मामना रोड़ के पास से चेकिंग के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.इदरीश पुत्र आबिद खान उम्र करीब 25 वर्ष के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर 2.रहीस पुत्र भैयालाल खान उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण बड़ीखोर मोहल्ला मकरबई थाना कबरई जनपद के कब्जे से 03 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 35/25 व मु0अ0सं 36/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल, चौकी प्रभारी भटीपुरा 2. उ0नि0 अभिषेक कुमार
3. हे0कां0 मुजीब अहमद थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

अभियुक्त इदरीश का आपराधिक इतिहास- 1.मु.अ.सं. 50/2018 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कबरई 2. मु0अ0सं0 51/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कबरई 3. मु0अ0सं0 159/2022 धारा 386/506 भादवि थाना कबरई 4.मु0अ0सं0 176/2022 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवा0 अधि0 थाना कबरई 5. मु0अ0सं0 317/2020 धारा 147/148/307/504 भादवि थाना कबरई 6. मु0अ0सं0 452/2018 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा 7. मु0अ0सं0 467/2018 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा 8. मु0अ0सं0 470/2018 धारा 380/511 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा

अभियुक्त रहीस का आपराधिक इतिहास- 1. मु.अ.सं. 452/18 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा 2.मु.अ.सं. 316/2022 धारा 323/332/353/427/504/506 भादवि थाना कबरई 3. मु.अ.सं. 317/2020 धारा 147/148/307/504 भादवि थाना कबरई 4. मु0अ0सं0 49/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कबरई 5. मु0अ0सं0 48/2021 8/20 NDPS ACT. थाना कबरई 6. मु0अ0सं0 210/2024 धारा 115(2)/288/352 BNS थाना कबरई

महोबा पुलिस

थाना खरेला की पुलिस टीम ने एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 17.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला, श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 रामअभिलाष यादव मय हमराह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना खरेला में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/25 धारा 74/331(4) बीएनएस व एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त दान सिंह विश्वकर्मा पुत्र भगत सिंह विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा संबधित को थानाक्षेत्र के ग्राम चन्दौली से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

दान सिंह विश्वकर्मा पुत्र भगत सिंह विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामअभिलाष यादव
2. का0 अमित कुमार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के एक नफर शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

महाकुम्भः 2025 को सकुशल एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित अभियानों के तहत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखिबर की सूचना पर थानाक्षेत्र के मोहनपुर तिगैला के पास बहद ग्राम इन्द्रहाटा से आपराधिक प्रवृत्ति के 01 नफर अभियुक्त राजकुमार पुत्र दशरथ राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा को रोका गया, जिसकी जामातलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर में मु0अ0सं0 17/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी थाना अजनर
2. का0 धीरज कनौजिया 3. का0 प्रताप विक्रम सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

राजकुमार पुत्र दशरथ राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा

अभियुक्त राजकुमार पुत्र दशरथ राजपूत का पूर्व आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 02/2024 धारा 3,25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकंठ जनपद महोबा।
2. मु0अ0स0 101/2022 धारा 376/452/506 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो अधिनियम थाना महोबकंठ जनपद महोबा।
3. मु0अ0स0 198/2023 धारा 352/504/506 भा0द0वि0 थाना महोबकंठ महोबा